न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 58 / 2024
RCMS No. : 2024/327

प्रार्थी:–	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :–**
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. श्री किशोर जैन पुत्र खुशालचंद जाति जैन निवासी मैन बाजार सोजत रोड मैसर्स बादरमल नथमल देवजी बेरा सोजत रोड पाली (फर्म मेनेजर) 2. खुशालचंद पुत्र बादरमल जैन जाति जैन निवासी मैन बाजार सोजत रोड मैसर्स बादरमल नथमल देवजी बेरा सोजत रोड पाली (फर्म मालिक) 3. श्री प्रवीण कुमार मैसर्स प्रवीण मार्केटिंग प्लॉट नम्बर 130 गली नम्बर 06 पाल रोड जोधपुर 4. श्री अनिल कुमार जैन पुत्र कंवरलाल जैन निवासी खत्रियों का बास बेतवा जुनावास बेलवा जोधपुर मैसर्स अनिल ट्रेडिग कम्पनी बेलवा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर 5. श्री कलपेश भाई फुला भाई थुमर मैसर्स विशवा फुड प्रोडक्टस प्लॉटन नम्बर 20 से 23 प्रथम इण्डस्ट्रीयल एरिया मंगरोल सुरत गुजरात 395010 (मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04, 05 के प्रतिनिधी उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

–: निर्णय :–

दिनांक : 22\10\2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस न्यायालय में अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित, एवं अप्रार्थी संख्या 02 से 05 की ओर से उनके प्रतिनिधि उपस्थित। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 25.10.2023 को दौराने गश्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स बादरमल नथमल देवजी बेरा सोजत रोड पाली पर पहुंचा वहां पर अप्रार्थी संख्या 01 उपस्थित मिला जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी से उसका नाम पता पुछने पर अपना नाम किशोर जैन पुत्र खुशालचंद जैन बताया एवं स्वंय को फर्म का मैनेजर होना बताया। फर्म मैनेजर एवं गवाहों की उपस्थित में प्रार्थी ने गोदाम का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान गोदाम में विश्वा ब्राण्ड के अलग–अलग पैकेटों में घी ब्राण्ड विश्वा रखा हुआ था। जिसे अप्रार्थी संख्या 01 ने आमजन को विक्रय हेतु रखा था। निरीक्षण के दौरान घी ब्राण्ड विश्वा 500 एमएल में मिलावट होने के संदेह पर नमुना लेने की इच्छा जाहिर की। उपस्थित रूबरू गवाहान के सामने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नहीं होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी संख्या 01 को बता दिया की घी (ब्राण्ड विश्वा) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जांच हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी संख्या 01 की उपस्थिति में 500 एमएल घी (ब्राण्ड विश्वा) के 04 पैकेट को वास्ते जांच हेतु क्रय कर 1050/– रूपये नकद अप्रार्थी संख्या 01 को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी संख्या 01 से खरीदशुदा घी (ब्राण्ड विश्वा) के चारों पैकेटों को अलग–अलग पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का कोड़ एवं सिरियल नम्बर आर–2170 लिखा एंव अन्य नमुना विवरण अंकित किया गया, जिसे चारों नमुना पैकेट पर चिपकाकर नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार की जिस पर गवाह, अप्रार्थी संख्या 01 एवं स्वयं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना घी (ब्राण्ड विश्वा) प्रथम दृष्टया मिलावट में सन्देह होने पर गोदाम में रखे घी (ब्राण्ड विश्वा) को खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की फर्म में रखे घी (ब्राण्ड विश्वा) के 500 एमएल के चार कार्टुन प्रत्येक कार्टुन में 24 कुल 48 लीटर, 200 एमलए के 5 कार्टुन प्रत्येक कार्टुन में 60 पेक कुल 60 लीटर एवं 01 लीटर के 2 कार्टुन प्रत्येक मे 12 पैक कुल 24 लीटर कुल 132 लीटर घी को सीज किया जो

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

इस अधिनियम की धारा 51, 52, 59 का उल्लंघन है। जिसके संबंध में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 01 एवं उपस्थित गवाहों की उपस्थित में प्रारूप 04 प्रतिभूत बंधपत्र का प्रारूप तैयार कर हस्ताक्षर करवाये एवं अप्रार्थी संख्या 01 को हिदायत दी कि उक्त खाद्य पदार्थ को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखें। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को अशोक विश्नोई संगणक कार्यालय हाजा द्वारा 26.10.2024 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस/2853/एक्ट/2023/2978 दिनांक 16.11.2023 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना कोड संख्या आर–2170 Sub-Standards पाया गया। जिसकी प्रति जरिये डाक अप्रार्थी संख्या 01 किशोर जैन पुत्र खुशालचंद जैन को प्रेषित कर अवगत करवाया की वह उक्त नमुना कि जाचं पुनः करवाना चाहते है तो 30 दिवस के भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील कर सकते है, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने 30 दिन तक अपील पेश नही करने पर अप्रार्थी संख्या 01 से घी (ब्राण्ड विश्वा) के दस्तावेज मंगवाने पर अप्रार्थी संख्या 01 ने मैसर्स प्रवीण मार्केटिंग प्लॉटन नम्बर 130 गली नम्बर 06 पाली रोड जोधपुर से बिल नम्बर पीएम 001772 दिनांक 18.09.2023 से खरीद किया था। इस पर थोक विक्रेता मैसर्स प्रवीण मार्केटिग जोधपुर से सम्पर्क करने पर उन्होने उक्त घी (ब्राण्ड विश्वा) थोक विक्रेता अनिल ट्रेडिग कम्पनी बेलवा, तहसील शेरगढ जिला जोधपुर से जरिये बिल संख्या बी. 23/24–0041 दिनांक 07.10.2023 से खरीद करना बताया, एवं उक्त थोक विक्रेता ने उक्त नमुना घी ब्राण्ड विश्वा निर्माता फर्म एवं अप्रार्थी संख्या 05 से जरिये बिल संख्या जीटी–/563 दिनांक 03 अक्टुबर 2023 से खरीद करना बताया जिस पर अभिहित अधिकारी की स्वीकृति पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण न्यायालय में पेश किया। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Sub-standards घी (ब्राण्ड विश्वा) का उत्पादन, वितरण एवं विनिमय विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01, अप्रार्थी संख्या 02 के प्रतिनिधि अप्रार्थी संख्या 01 तथा अप्रार्थी संख्या 03 से 05 के प्रतिनिधि वक्त बहस उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए कम से कम शास्ति आरोपित करते हुए प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन किया है।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

दिनांक 25.10.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से घी (ब्राण्ड विश्वा) वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड़ एवं क्रम संख्या आर–2170 अंकित कर सीलबन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना घी (ब्राण्ड विश्वा) अप्रार्थी संख्या 03 की फर्म मैसर्स प्रवीण मार्केटिंग प्लॉटन नम्बर 130 गली नम्बर 06 पाली रोड जोधपुर से बिल नम्बर पीएम 001772 दिनांक 18.09.2023 से खरीद किया था। जिसे थोक विक्रेता मैसर्स प्रवीण मार्केटिग जोधपुर उक्त घी (ब्राण्ड विश्वा) थोक विक्रेता अनिल ट्रेडिग कम्पनी बेलवा तहसील शेरगढ़ जोधपुर से जरिये बिल संख्या बी. 23/24–0041 दिनांक 07.10.2023 से खरीद किया एवं उक्त थोक विक्रेता ने उक्त नमुना घी ब्राण्ड विश्वा निर्माता फर्म एवं अप्रार्थी संख्या 05 से जरिये बिल संख्या जीटी–/563 दिनांक 03 अक्टुबर 2023 से खरीद करना बताया जिससे संबधित खरीद बिल पत्रावली के संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से जो नमुना लिया गया है उसके संबंध में की गई कार्यवाही, अपने अधिकार क्षैत्र में रहते हुये की है। प्रार्थी ने घी (ब्राण्ड विश्वा) के संबंध में दस्तावेज पेश कियें जो पत्रावली में मौजुद है। साथ ही पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड़ नम्बर, नमुने का विवरण, फर्म का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने घी विश्वा ब्राण्ड की मानकता में सन्देह होने की दशा में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 38 में अधीन प्रत्यायेजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की फर्म में रखे एक लीटर, 500 एमएल एवं 200 एमएल की पैकिंग में कुल 132 लीटर विश्वा ब्राण्ड घी को सीज किया। उक्त कार्यवाही के लिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी एफ.एस.एस एक्ट के तहत समस्त योग्यताएं रखता है जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 37 में दी गई है। अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया नमुना कोड संख्या आर–2170 घी (ब्राण्ड विश्वा) को वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया, जिसके सन्दर्भ में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से रिपोर्ट संख्या एल.एस/2853/एक्ट/2023/2978 दिनांक 16.11.2023 अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की फर्म से लिया गया नमुना घी (ब्राण्ड विश्वा) अमानक (Sub-standards) का पाया गया। जो अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों उल्लघंन है, जो धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण द्वारा घी (ब्राण्ड विश्वा) (Sub-standards) का विक्रय/विनिमय/उत्पादन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 03 पर 50,000/– अक्षरे पचास

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 05 पर 3,00,000/– अक्षरे तीन लाख रूपये कुल 5,00,000/– अक्षरे पांच लाख रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 व 02 कि फर्म में जब्तशुदा घी विश्वा ब्राण्ड के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कर इस न्यायालय को सूचित करें। निर्णय की सत्यप्रति अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली